

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुसावर, भारतपुर ①

पीबिसीन अधिकारी
प्रकरण संख्या - 21/20

मुनिदेव यादव
दाखर दिनांक = 8-12-20

राजेश पुत्र विजयसिंह जाति मीमा निवासी माईदेपुर तहसील
मुसावर जिला भारतपुर राज० ----- प्रार्थी

बनाम


राजस्थान सरकार जायें तहसीलदार - मुसावर जिला भारतपुर
----- कप्रार्थी

प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956
केधीवस्ता - महेश मणिगा प्रार्थी सह.

निर्णय दिनांक 26.02.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र का संक्षिप्त
विवरण इस प्रकार है कि कां० ख० न० 553 रकवा 1.42,
554 रकवा 0.20, 555 रकवा 0.73, 556 रकवा 0.87,
557 रकवा 1.21, 558 रकवा 0.50, 559 रकवा 0.88,
560 रकवा 0.79, 563 रकवा 0.63, 564 रकवा 1.22
किता 10 कुल रकवा 8.45 हैं० में प्रार्थी का हिस्सा 1/8
व 32 रकवा 0.02, 46 रकवा 0.18, 47 रकवा 0.14,
57 रकवा 0.31, किता 4 कुल रकवा 0.56 हैं० में प्रार्थी
1/12 हिस्सा एवं कां० ख० न० 228 रकवा 0.22, 229 रकवा
0.49 किता 2 रकवा 0.71 हैं० में प्रार्थी 1/12 हिस्सा का
बकिे ग्राम माईदेपुर तहसील मुसावर का खोले 311 काश्तकर
है।

उपरोक्त काश्तकी प्रार्थी की पेंडिड काश्तकी है, जिसका
बिरासत का दाखिला दर्ज करते समय राजस्व कमिश्नरियों
ने एडवम जालती से प्रार्थी का नाम राजेश ने ध्यान पर
तेजसिंह जालत दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थी कप्रार्थी पेंडिड
खोले दारी की काश्तकी पर राज्य सरकार से किलने वाली


राजस्थान सरकार
मुसावर (भारतपुर)


----- लगातार - 2

अधिक सहामताओं व कृषि सुधार प्रयत्नों से भी महसूस
 रहना पड़ता है जबकि तेजसिंह पुत्र विजयसिंह नाम
 का कोई भी व्यक्ति ग्राम निहार में निवास नहीं करता है।
 उक्त नाम प्राची का है। तथा प्राची के अन्य दस्तावेजों
 जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक दस्तावेजों, बैंक
 खातों आदि में राजेश पुत्र विजयसिंह नाम दर्ज है
 जबकि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तेजसिंह पुत्र विजयसिंह
 नाम गलत एवं सही के विरुद्ध है। प्राची द्वारा उक्त
 गलत नाम दर्ज को दुरुस्त किये जाने कावल विवेदन किया
 है।

प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को दर्ज रजिस्टर कर
 अधिकांश की तबकी जमीनें रजिस्टर्ड अन. डाक द्वारा कीर्ति
 नोहर की ब्लॉक-गाँव में तहसीलदार भुसावर ने जमीन का
 क्रमांक | L.R. 21/469 रकबा 192.222 अक्षर करवाया है
 कि वह परिवारी हल्का गाँवपुर के जांच कराई गई पुलकित
 जांच राजेश व तेजसिंह एक ही व्यक्ति हैं एवं दस्तावेजों
 के अनुसार सही नाम राजेश पुत्र विजयसिंह है। साथ ही
 हमने पत्रव्यवस्था में प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे नवम जन्मपत्र,
 आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बैंक खाते जोबकार्ड, जमीन
 प्रमाण, स्कूल विच्छेद प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आमाशाह कार्ड,
 पहचान पत्र, एवं शपथ पत्र प्राची एवं शपथ पत्र कर्मचारी
 का भी की कवले कन किया गया।

उपरोक्त दस्तावेजों में शपथ पत्र प्राची, एवं शपथ पत्र
 कर्मचारी तथा रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर ने आधार पर
 प्राचीना-पत्र प्राची स्वीकार करना उचित समझते हैं।


किंतु प्राचीना-पत्र प्राची स्वीकार कर तहसीलदार
 भुसावर को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे प्राची राजेश
 की ओर ख. नं. 553 रकबा 1.420, 554 रकबा 0.200, 555
 --- 02/11/11 - 3


 उपस्थित अधिकारी
 भुसावर (भुसावर)

③

रकवा ०.७३००, ५५६ रकवा ०.८७००, ५५७ रकवा १.२१००,
 ५५८ रकवा ०.५०००, ५५९ रकवा १.२२००. किला कुल
 रकवा ८.५५०० है। हिस्सा १/४ व आ. र. नं. ३२
 रकवा ०.०२०० ५६ रकवा ०.१८००, ५७ रकवा ०.१५००,
 ५७ रकवा ०.३१००, किला ५ रकवा ०.६५०० है।
 प्राची १/१२ हिस्सा एवं २२८ रकवा ०.२२००, २२९
 रकवा ०.५९०० किला २ रकवा ०.७१०० है। हिस्सा १/२
 बाने प्रा. मारिपुर (तहसील कुलवा भारतपुर) की प्राची
 की मराठाओं की माली माली काट जांच प्राची के नाम
 तेजसिंह पुत्र बिजयसिंह के हथान पर राजेश पुत्र
 बिजयसिंह पुत्र का कर राजस्व रिमांड में भंडन किया
 जाते।

निबंध किराया जल्द रुपये नया पालक सुनाओ जाते
 पालकी के लाल कुमार के सेवर नामवर से कर है


 मुनिदेव याश
 सप्लेण्ट अधिकारी
 गुसावर (भरतपुर)